समक्ष

श्री एस.एस. सोढ़ी माननीय न्यायमूर्ति

लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, -याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य -प्रतिवादी।

1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 4809।

20 मई 1983।

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम (1952 का XIX) - धारा 14 - भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम XLV) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि (संशोधन) अधिनियम (1973 का XL) द्वारा संशोधित - धारा 405 स्पष्टीकरण, 406 और 409—भारत का संविधान 1950—अनुच्छेद 20—भविष्य निधि योगदान के भुगतान में नियोक्ता द्वारा चूक—स्पष्टीकरण के लागू होने से पहले की अवधि के संबंध में चूक—नियोक्ता—क्या ऐसे चूक के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है—स्पष्टीकरण इसमें जोड़ा गया संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 405,-क्या अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करता है-दोषी नियोक्ता पर धारा 14 के तहत मुकदमा चलाया जाए - धारा 406 के तहत भी अभियोजन चलाया गया - दंड संहिता के तहत अभियोजन - क्या दोहरे खतरे के सिद्धांत पर अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है।

ये निर्धारित किया गया कि भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 20 का कोई उल्लंघन केवल संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में जोड़े गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में आरोपी पर स्थानांतरित होने से उत्पन्न नहीं होता है। इसके अलावा, इस स्पष्टीकरण से यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई नया अपराध उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार कर्मचारियों के तहत

योगदान करने में चूक के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के तहत दोषी नियोक्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 स्पष्टीकरण के लागू होने से पहले की अवधि से संबंधित है।

(पैरा 10)

य` निर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 14(1) क` तहत अपराध के तत्व संहिता की धारा 406 के तहत अपराध के समान नहीं है, अधिनियम की धारा 14(1 ए) में अपराध में अंशदान का भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट शामिल है; जबकि संहिता की धारा 406 के तहत कानून के एक निर्देश का उल्लंघन करते हुए नियोक्ता को सौंपे गए धन का दुरुपयोग किया जाता है, यानी भविष्य निधि में योगदान के रूप में कर्मचारियों के वेतन से कटौती के साथ-साथ नियोक्ता के योगदान के तहत कटौती की जाती है। चूंकि अधिनियम की धारा 14(1) और संहिता की धारा 406 के तहत अपराध के तत्व समान नहीं है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 20 का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है और दोहरे खतरे का सिद्धांत इस प्रकार लागू नहीं होता है।

(पैरा 11)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहतें दी जाएं:-

(ए) सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट जारी की जाए जिसमें विवादित एफ.आई.आर. से संबंधित उत्तरदाताओं के रिकॉर्ड मांगे जाएं। (अनुलग्नक पी-3) और उसके अवलोकन के बाद, आक्षेपित एफ.आई.आर. (अनुलग्नक पी-3) को रद्द किया जाए।

(बी) स्पष्टीकरण के प्रावधानों को धारा 405 आई.पी.सी. में जोड़ा गया, -कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 9 के तहत, इसे संविधान के

अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया है, और इसके अलावा स्पष्टीकरण के उक्त प्रावधान काभावी संचालन है और याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते।

(सी) योजना के पैरा 32(3) के प्रावधानों को भी अवैध प्रावधान, के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। इसलिए वे कानून में निष्क्रिय है।

(डी) प्रतिवादी संख्या 5 को एफआईआर अनुबंध पी-3 के आधार पर याचिकाकर्ता और उसके निदेशकों की जांच करने और गिरफ्तार करने से रोका जाना चाहिए और उसे याचिकाकर्ता और उसके निदेशकों को परेशान करने से भी रोका जाना चाहिए।

(ई) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाए।

(एफ) याचिकाकर्ता को पंजाब और हरियाणा रिट क्षेत्राधिकार नियम, 1972 के नियम 29 के तहत प्रस्ताव के नोटिस निकालने से छूट दी जाए।

(जी) इस रिट याचिका का निर्णय होने तक उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता और उसके निदेशकों को गिरफ्तार करने से रोकने और आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया जाए।

(ज) याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी-1, पी-2 और पी4 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जाए क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

(i) याचिकाकर्ता को इस याचिका की लागत की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील एस. पी. जैन.

सी. डी. दीवान, अधिवक्ता, श्याम कुमार शर्मा, अधिवक्ता के साथ प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

श्री एस.एस. सोढ़ी माननीय न्यायमूर्ति:

(1) यह आदेश संदर्भित सिविल रिट याचिका के साथ-साथ उपरोक्त सिविल रिट याचिका संख्या 1574 से 1976 का निपटारा करेगा (मैसर्स मेटल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और अन्य)। विचाराधीन मामला एक ही होने के कारण इन दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। उठाए गए विवाद के उद्देश्य के लिए, मेसर्स लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स, फ़रीदाबाद से संबंधित मामले के प्रासंगिक तथ्यों को प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

(2) मेसर्स लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो फरीदाबाद में डीजल इंजन के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। यह कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों द्वारा कवर की गई है। इसने नवंबर और दिसंबर 1971, मार्च से अगस्त, 1972 और सितंबर से नवंबर, 1972 की अवधि के लिए भविष्य निधि योगदान का भुगतान करने में चूक की। नियोक्ता के हिस्से के अलावा इन अवधि के दौरान उनके वेतन से काटे गए कर्मचारियों के हिस्से का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया गया। याचिकाकर्ता कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ तदनुसार अभियोजन शुरू किया गया: - कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 76 के साथ पठित अधिनियम की धारा 14 के तहत।

(3) इसके अलावा, भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा 27 दिसंबर, 1972 को और 18 मई, 1973 को एक रिपोर्ट स्टेशन हाउस ऑफिसर, फ़रीदाबाद को दी गई थी, जहां यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने बेईमानी से अधिनियम के तहत कर्मचारियों के वेतन से एकत्र किए गए धन का दुरुपयोग किया था। पुलिस से मामले की जांच करने और याचिकाकर्ता और उनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने 18 अप्रैल, 1975 को पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 4

जुलाई, 1975 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-3) दर्ज की गई। इस रिट याचिका में जो राहत मांगी गई है वह इस रिपोर्ट को रद्द करना है।

(4) आगे बढ़ने से पहले, यह उल्लेख किया जा सकता है कि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था। यह स्पष्टीकरण 1 नवंबर, 1973 से लागू हुआ और इस प्रकार है:-

> "नियोक्ता होने के नाते कोई व्यक्ति, जो किसी भी समय लागू कानून द्वारा स्थापित भविष्य निधि या पारिवारिक पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को देय वेतन से कर्मचारी के योगदान में कटौती करता है, तो उसे राशि सौंपी गई मानी जाएगी यदि वह उक्त कानून का उल्लंघन करते हुए उक्त निधि में ऐसे योगदान के भुगतान में चूक करता है, तो उसके द्वारा काटे गए योगदान को कानून के निर्देश का उल्लंघन करते हुए बेईमानी से उक्त योगदान की राशि का उपयोग माना जाएगा जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है।"

(5) याचिकाकर्ता के वकील श्री सत्य प्रकाश जैन का तर्क था कि ऊपर उल्लिखित संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 20 के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें अभियुक्त को उनकी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी है। यह भी तर्क दिया गया कि यह संशोधन, किसी भी दर पर, इस स्पष्टीकरण के लागू होने से पहले की अवधि, अर्थात् 1 नवंबर, 1973 के संबंध में अधिनियम के तहत योगदान के भुगतान में किसी भी चूक के लिए याचिकाकर्ता को उत्तरदायी नहीं बना सकता है। तर्क यह है कि चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-3) इस तिथि से पहले याचिकाकर्ता के योगदान के संबंध में थी, इसलिए तत्संबंधी याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 या धारा 409 के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता था। अंत में, यह तर्क देने की मांग की गई कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के तहत याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाना एक बार फिर से उसी कार्रवाई के कारण के संबंध में दोहरे खतरे के सिद्धांत के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है क्यूंकि याचिकाकर्ता पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था।

(6) दूसरी ओर, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के वकील श्री सी. डी. दीवान का रुख यह था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में जोड़े गए स्पष्टीकरण में केवल साक्ष्य का एक नया नियम शामिल किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि कोई नया अपराध अस्तित्व में नहीं आया या बनाया नहीं गया और इस प्रकार वर्तमान मामले में संविधान के अनुच्छेद 20 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने सादृश्य के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(3) के प्रावधानों का हवाला दिया। इस अधिनियम की धारा 5(3) को यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> धारा 5(3) उपधारा (2) के तहत दंडनीय अपराध के किसी भी मुकदमे में आरोपी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है, जिसके लिए आरोपी व्यक्ति आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन होने का मामला साबित किया जा सकता है, और ऐसे सबूत पर अदालत यह मान लेगी, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, कि आरोपी व्यक्ति अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में आपराधिक कदाचार का दोषी है और केवल इस कारण से कि यह पूरी तरह से ऐसी धारणा पर आधारित है, उसकी सजा अमान्य नहीं होगी।"

(7) कानून का यह प्रावधान **सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य**,[1] में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। यहां जिस बात पर सवाल उठाया गया वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(3) द्वारा निर्धारित धारणा थी, जिसके तहत यदि उसमें उल्लिखित कुछ तथ्य साबित हो जाते हैं, तो अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त के अपराध को साबित करने का बोझ समाप्त हो जाता है तथा अभियुक्त पर यह बोझ आ गया कि उसकी संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक होने के बावजूद वह अपराध का दोषी नहीं है। एक तर्क उठाया गया कि ये प्रावधान केवल अधिनियम की तारीख के बाद अभियुक्तों द्वारा अर्जित संपत्ति पर लागू हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। इसे इस अवलोकन के साथ खारिज कर दिया गया कि किसी क़ानून को पूर्वव्यापी नहीं

[1] एआईआर 1964 एस.सी. 464।

कहा जा सकता है "क्योंकि इसके कार्यों के लिए आवश्यकताओं का एक हिस्सा इसका पारित होने के पूर्ववर्ती समय से लिया गया है।" (मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, 11 वां संस्करण, पी.211) और तदनुसार यह माना गया कि अधिनियम की तारीख से पहले अर्जित अभियुक्तों के कब्जे में संपत्ति को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह से इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया।

(8) इसके अलावा, इस तर्क को खारिज करते हुए कि धारा 5(3) में एक नया अपराध बनाने का प्रभाव था और अधिनियम की तारीख से पहले अर्जित संपत्ति पर विचार करना संविधान के अनुच्छेद 20 के प्रावधानों का उल्लंघन था, यह देखा गया कि धारा 5(3) केवल धारा 5(1) में परिभाषित आपराधिक कदाचार के अपराध को साबित करने के उद्देश्य से साक्ष्य का एक नियम निर्धारित करती है, जिसके लिए एक आरोपी व्यक्ति पर पहले से ही मुकदमा चल रहा था।

(9) **सी.एस.डी. स्वामी बनाम राज्य**[2], के पहले मामले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था।

(10) सज्जन सिंह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट की तर्कसंगत टिप्पणियों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 20 के प्रावधानों के आधार पर याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का पूर्ण उत्तर मिलता है। उपरोक्त उल्लिखित संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में जोड़े गए स्पष्टीकरण के आधार पर इसका कोई भी उल्लंघन केवल अभियुक्त पर स्थानांतरित होने पर उत्पन्न नहीं होता है। इसके अलावा, इस स्पष्टीकरण से यह नहीं कहा जा सकता कि कोई नया अपराध सृजित हुआ है और इस प्रकार अधिनियम के तहत योगदान करने में चूक के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ इसके लागू होने से पहले की अवधि, यानी 1 नवंबर, 1973 मुकदमा चलाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

[2] एआईआर 1960 एस. सी. 7।

(11) अंत में, दोहरे खतरे की दलील की ओर मुड़ते हुए, इसका उत्तर **हरि नाथ पोद्दार बनाम राज्य**[3], में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा प्रदान किया गया है। यह एक ऐसा मामला था, जहां कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के संबंध में दोहरे खतरे की एक समान याचिका उठाई गई थी। यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अपराधों की सामग्री भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत अपराध के समान नहीं थी, जबकि अधिनियम की धारा 14(1 ए) के तहत थी। धारा 14(1 ए) अपराध में अंशदान का भुगतान करने में चूक शामिल है; जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत कानून के एक निर्देश का उल्लंघन करते हुए नियोक्ता को सौंपे गए धन का दुरुपयोग करना, यानी भविष्य निधि में योगदान के रूप में कर्मचारियों के वेतन से काटा गया पैसा। तदनुसार यह माना गया कि चूंकि अधिनियम की धारा 14(1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत अपराध की सामग्री समान नहीं थी, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। इस प्रकार दोहरे खतरे का सिद्धांत यहां लागू नहीं होता है।

(12) ऊपर बताए गए कारणों से, याचिकाकर्ता को दावा की गई राहत देने का स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं है। तदनुसार, रिट याचिका को जुर्माने सहित खारिज किया जाता है। वकील की फीसकी फीस रु. 300।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

[3] 1978 सी आर एल जे. 1918.

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा।